न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 23/2013

श्री जीतमल पुत्र श्री सेवाराम जाति माली उम्र बालिग निवासी बरल द्वितीय रोड तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मोडू जाति माली उम्र बालिग
2. श्री काना पुत्र श्री मोडू जाति माली उम्र बालिग
3. श्रीमती भूरी पत्नी श्री मोडू जाति माली उम्र बालिग
   निवासीयान बरल द्वितीय रोड तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, मसूदा जिला अजमेर।

—— अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 राज. काश्त. अधि. एवं सहपठित धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

:— निर्णय :— दिनांक 13.06.2016

उपस्थित :—

1. श्री जीतमल
2. ओमप्रकाश

इस आवेदन में प्रार्थी ने सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा बरल द्वितीय तहसील मसूदा स्थित अराजी खसरा न0 1140 रकबा 01—04—00 बीघा भूमि हरिकृष्ण मानसिंह पुत्र स्व0 सेठ रघुनाथ सिंह महाजन की खातेदारी में थी। श्री हरि कृष्ण ने दिनांक 25.08.1975 को उगमा पुत्र सेवाराम प्रतिवादी सं. 1, 2 व 3 के पिता एवं पति को इसके कुल रकबे में से 16 बिस्वा भूमि बेचान कर दी। शेष 08 बिस्वा भूमि वादी जीतमल पुत्र सेवाराम माली को दिनांक 06.07.2005 को इसके 1140/2 नम्बर से दिशायें तय करते हुए जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा बेचान कर दी और कब्जा वादी जीतमल को संभला दिया। प्रतिवादीगण ने खसरा न0 1140/1 रकबा 16 बिस्वा में अपना नामान्तकरण करवा लिया है फिर भी वे वादी की खसरा न0 1140/2 रकबा 08 बिस्वा कब्जा कर लेते है और इस पर जानवर आदि बांध देते हैं। अतः वादी अपनी भूमि की सीमा का सही ज्ञान अपने हक करवाकर मौके पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः वाद बहस वादी डिक्री किया जाकर खसरा न0 1140/2 रकबा 08 बिस्वा की पत्थरगढी करवाई जावे।

प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 ने अपने प्रतिवाद पत्र में वाद कथन नकारते हुए निवेदन किया है खातेदार श्री हरिकृष्ण मानसिंह ने अपनी खातेदारी की अराजी खसरा न0 1140 रकबा 01—04—00 बीघा मे से 1140/1 प्रतिवादीगण के पिता/पति को बेचान कर दी। शेष भूमि पर रास्ता कायम है। खसरा न0 1140/2 पर वादी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। खसरा न0 1140/2 का मौके पर कोई वजूद ही नहीं है। मौके एवं राजस्व नक्शे में खसरा न. 1140/2 कोई तरमीम नहीं है। वादीगण अपनी खातेदारी की अराजी खसरा न0 1138/3 व 1140/1 जो मौके पर एक ही चक है काबिजकाश्त है। नक्शे में तरमीम के अधिकार माननीय न्यायालय को है जिस बाबत् एक वाद माननीय न्यायालय में मय काउन्टर क्लेम विचाराधीन है जिसमें जीतमल के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा दी हुई है जिसका उनवान ओमप्रकाश व अन्य बनाम जीतमल है। अराजी खसरा न0 1138 व 1140 का बेचाननामा दिनांक 25—08—1975 में बकाया रकबा पश्चिम दिशा में दर्शाया गया है वह रास्ते के रूप में वजूद में है। मौके पर वादी जीतमल का खसरा न0 1140 के किसी भू—भाग पर कब्जा नहीं है। वह केवल झुठे बनावटी बेचाननामा दिनांक 06.07.2005 के आधार पर काबिज होना बताया है। जो सर्वथा गलत व मिथ्या है। अतः वादवादी सव्यय निरस्त किया जावे।

प्रकरण आज न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में ग्राम पंचायत मुख्यालय बरल द्वितीय पर पेश होने पर वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश तथा पैरोकार प्रतिवादी सं0 4 को सुना गया। पत्रावली का उद्धोपांत अवलोकन किया गया। ग्राम बरल द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2041 के खाता सं0 368 की अराजी खसरा न0 1140 रकबा 01–04–00 बीघा में सेठू रघुनाथसिंह खातेदार दर्ज है। जमाबंदी सं0 2043 से 2046 के खाते सं0 17 में उगमा, मोडू, जीतमल पुत्र सेवामाली अराजी खसरा नं0 1138 रकबा 08–10–10 व 1140/1 रकबा 16 बिस्वा में संयुक्त रूप से सहखातेदार हैं। जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 के खाता सं0 19 में खसरा न0 1140/2 रकबा 08 बिस्वा वादी जीतमल की खातेदारी में दर्ज है। नक्शा ट्रेस मौजा बरल द्वितीय सं0 2028 में खसरा न0 1140 में पश्चिम की ओर आम रास्ता डोट–डोट से अंकित है। अभिलेख की स्थिति पर ध्यानपूर्वक मनन करने पर मैने यह पाया कि प्रश्नगत अराजी खसरा न0 1140 के जमाबंदीयों में तो खसरा न0 1140/1 रकबा 16 बिस्वा तथा खसरा न0 1140/2 रकबा 08 बिस्वा अंकित कर दिया गया और इसी खसरा न0 1140 व 1130 सहित नक्शा ट्रेस में पश्चिम दिशा में डोट–डोट से रास्ता दर्शाया गया

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी दोनों के कथन सही पाये जाते है। वादी का कथन है कि खसरा न0 1140/2 उसकी खातेदारी का है वही पूर्ववर्ति खसरा न0 1140/1 के खातेदार प्रतिवादीगण का कथन है कि उस अराजी के पश्चिम दिशा में रास्त है तथा खसरा न0 1140/2 वजूद में नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

वादी की खातेदारी के खसरा न0 1140/2 रकबा 08 बिस्वा में जो नक्शा ट्रेस में डोट–डोट से रास्ता दिखाया गया है उसे 12 फिट चौडा छोडते हुए शेष भूमि पर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार बिजयनगर को रु. 1500/– कमीशन पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है और निर्देशित किया जाता है कि वह मौके खसरा न0 1140/2 में स्थित रास्ते की अराजी को छोडकर शेष भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2016 को ''न्याय आपके द्वार'' कार्यक्रम मुकाम बरल द्वितीय पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.01.01 16:18:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: